बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

सं0–15/आरोप (औरंगाबाद) 02–114/2025– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–..........

समाहर्त्ता, औरंगाबाद के पत्रांक–616, दिनांक–28.08.2025 द्वारा श्री अरूण कुमार सिंह, प्रभारी पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, औरंगाबाद–सह–तत्कालीन अंचल अधिकारी, औरंगाबाद सदर के विरूद्ध ,गलत मंशा से अल्प अवधि में सोंची समझी गई साजिश के तहत अवैध ढंग से परिमार्जन प्लस आवेदन सं0–25345382284434 एवं 253428632861194 का निष्पादन करते हुए ऑनलाईन जमाबंदी कायम करने, पदीय दायित्व के निर्वहन में लपारवाही, कर्त्तव्यहीनता एवं स्वेच्छाचारिता संबंधी आरोप प्रतिवेदित है।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोपों को विभाग स्तर पर पुनर्गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–25 दिनांक–05.01.2026 द्वारा श्री सिंह से लिखित अभिकथन की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री सिंह द्वारा दिनांक–16.01.2026 से अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया।

3. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं आरोपी पदाधिकारी के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा अवैध ढंग से प्रश्नगत परिमार्जन प्लस आवेदनों का निष्पादन किया गया है और इसके लिए जबावदेह कारण के रूप में औरंगाबाद अंचल के अतिरिक्त प्रभार में रहने, दो कार्यालयों के कार्यबोझ में दबे रहने, परिमार्जन प्लस की पुनःस्थापित प्रावधान की सम्पूर्ण जानकारी नहीं रहने के कारण अपना डोंगल डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को देने/उनपर विश्वास करने/तथा अपने अधीनस्थ राजस्व कर्मचारी की स्पष्ट अनुशंसा के आधार पर दोनों परिमार्जन प्लस आवेदन को निष्पादित करने का उल्लेख किया गया है जो कहीं से भी स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि अंचलाधिकारी का दायित्व केवल राजस्व कर्मचारी के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा मात्र के आधार पर परिमार्जन प्लस आवेदनों का निष्पादन करना नहीं होता है बल्कि अभिलेखीय/स्थलीय साक्ष्यों का अवलोकन एवं जॉच–पड़ताल करते हुए निष्पादन करना होता है। इस स्तर पर आरोपी पदाधिकारी द्वारा चूक की गई है एवं अपने पदीय उत्तरदायित्व एवं कर्त्तव्य के प्रति शिथिलता एवं लापरवाही बरती गई है। साथ ही आरोपी पदाधिकारी का यह कथन कतयी स्वीकार योग्य नहीं है कि उनके द्वारा अपने अधीनस्थ डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को विश्वास कर अपना डोंगल हस्तगत कराया गया था जिनके द्वारा आरोपी पदाधिकारी की सहमति प्राप्त किए बिना ही प्रश्नगत परिमार्जन प्लस आवेदनों में स्वीकृति दे दी गई क्योंकि आरोपी पदाधिकारी को परिमार्जन प्लस से संबंधित नियम/प्रावधानों की स्पष्ट जानकारी रखनी चाहिए थी और स्वंय अपने द्वारा अथवा अपने पर्यवेक्षण में डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के माध्यम से परिमार्जन प्लस आवेदनों का निष्पादन किया जाना चाहिए था न कि डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को डोंगल सौपकर निश्चिंत हो जाना था। अपने अधीनस्थ कर्मियों पर दोषारोपण करने का अभिप्राय यह है किं आरोपी पदाधिकारी का अपने अधीनस्थ कर्मियों/कार्यालय पर प्रभावी नियंत्रण नहीं है, जो उनके कमजोर नेतृत्व क्षमता/कार्यालय प्रबंधन का द्योतक है। यदि आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मियों के कार्यों का समुचित अनुश्रवण/पर्यवेक्षण किया गया होता तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने पदीय उत्तरदायित्व एवं कर्त्तव्य के प्रति शिथिलता, उदासीनता एवं लापरवाही बरती गई है अथवा अपने निजी स्वार्थवश किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुचाने के उद्देश्य से उक्त चूक की गई है। वर्णित तथ्यों के आलोक में आरोपी पदाधिकारी का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

4. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं आरोपी पदाधिकारी के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध **"निन्दन"** (आरोप वर्ष–2025) अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

5. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अरूण कुमार सिंह, प्रभारी पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, औरंगाबाद–सह–तत्कालीन अंचल अधिकारी, औरंगाबाद सदर के विरूद्ध बिहार सरकारी

सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14 (i) के तहत **"निन्दन का शास्ति"** (आरोप वर्ष–2025) अधिरोपित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–**15/आरोप (औरंगाबाद) 02–114/2025**–519(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–13/04/2026

निबंधित/
ई–मेल

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता, औरंगाबाद को उनके पत्रांक–616, दिनांक–28.08.2025 के प्रसंग में/कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना **(मूल प्रति में)**/ श्री अरूण कुमार सिंह, प्रभारी पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(संजय कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव।